# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम पदमाराम पुत्र जमनाराम कुम्हार कुचामनसिटी

**प्रा.पत्र नम्बर 42/2020** **GCMS No.2020/00096**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 02/03/2022 | वकील अप्रार्थी श्री बोदूराम चौधरी के द्वारा आवेदन–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। अप्रार्थी वकील ने प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 339 में खातेदारी भूमि आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्व माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरूद्व एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरा की भूमि को अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिये जाने से पूर्व निर्धारित रीति अनुसार प्राधिकारी अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी यहॉ से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की घारा 90 –क के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रखा है, जिसकी छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधज्ञा होने से आगे की कार्यवाही नही हो पा रही है, इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे।<br>प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने–अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं प्रस्तुत जवाब एवं नगरपालिका कुचामनसिटी में प्रस्तुत प्ररूप–1 के संलग्न पत्रादि का अवलोकन करने पर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 17.08.2020 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>कुचामन सिटी (नागौर) | |